न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या 41/2025

गिरधारीलाल पुत्र लिखमा उर्फ लिखमादास जाति स्वामी निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)

–वादी

बनाम

1. जीवणदास पुत्र लिखमा जाति स्वामी निवासी रामपुरा हाल आबाद ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
2. रूड़मल पुत्र लिखमा जाति स्वामी निवासी रामपुरा हाल आबाद ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
3. उपपंजीयक कार्यालय गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)

– प्रतिवादीगण

वकील वादी – एडवोकेट रणवीर सिंह

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 25/02/2026

संक्षेप में वादी द्वारा पेश वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं में जमीन गत खसरा नम्बर 381 रकबा 5 बीघा 12 विश्वा वाके ग्राम खटकड़ में अवस्थित रही है जिसके दौराने सैटलमेंट नए खसरा नम्बर 600/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 607 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 2264/607 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 कायम हुए है। तत्पश्चात् राजस्व ग्राभों का विस्तार होने से उक्त भूमि ग्राम कीरपुरा की सरहद में आने के पश्चात् उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 600/2 से नये खसरा नम्बर 471 व भूमि खसरा नम्बर 607 से नये खसरा नम्बर 480 व खसरा नम्बर 2264/607 से नये खसरा नम्बर 481 कायम हुये। इस प्रकार उपरोक्त भूमि के वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 471 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 480 रकबा 1.22 है0 व खसरा नम्बर 481 रकबा 0.16 है0 कायम हुये हैं। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी की भूमि है जो वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पूर्वज लिखमा वल्द बल्लू कौम स्वामी की खातेदारी की रही। लिखमा का सजरा निम्न प्रकार है:–

लिखमा (फौत)

1. जीवणदास   2. रूड़मल   3. गिरधारी

वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पूर्वज लिखमा हुए। जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र तत्कालिन ठिकाना से उक्त लिखमा द्वारा लगान पर लेकर काश्त की जाती रही। इस जमीन का

खातेदार काश्तकार उक्त लिखमा रहा व काबिज रहा तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012 में उपरोक्त भूमि की खातेदारी लिखमा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही हैं व लिखमा बतौर कृषक दर्ज रहा है। उक्त लिखमा के तीन लड़के जीवणदास, रूड़मल व गिरधारी हुए। उक्त लिखमा की मृत्यु के बाद इस जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र के खातेदार काश्तकार उसके तीनों लड़के उक्त जीवणदास, रूडमल व गिरधारी हुए व काबिज हुए तथा लिखमा की मृत्यु के बाद उक्त तीनों का नाम जरिये विरासतन नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 20.02.1974 के नाम दर्ज हुआ। इस जमीन में उक्त तीनों का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शामिल में रहा तथा उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 में तीनों का नाम बतौर कृषक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। तत्पश्चात् बने राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व लापरवाही से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से बिना किसी कानूनी अधिकार के हटा दिया गया तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड की पुनारावृति होती रही। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र तीनों भाईयों के द्वारा बहिस्सा बराबर-बराबर काश्त की जाती रही। परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के बाद बने इस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी में वादी का नाम विलोपित किया जाकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होता चला गया जो गलत रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहा है जो वादी के हक अधिकारों के खिलाफ शून्य व बेअसर है। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का हकत्याग दिनांक 21.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में गलत रूप से कर दिया जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1472 दिनांक 21.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दर्ज हुआ है जो भी वादी के हक अधिकारों के विरूद्ध है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस जमीन जैर बहस को बाह्मी बंटवारा अनुसार अपने-अपने हिस्से के अनुसार अपनी सहुलियत से काश्त करते रहे व काबिज रहे हैं। वर्तमान में मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से की सींव अलग कायम कर रखी है। दिनांक 03.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के कब्जा काश्त में बाधा कारित की व वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी व कहा कि तुम्हारा इस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं है, तुम्हारा इस भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है। तब वादी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की व जमीन जैर बहस के गलत राजस्व रिकॉर्ड के बाबत् जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस जमीन जैर बहस का राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने व इस जमीन का विधिवत् खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट इंकार कर दिया व वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने के लिए बाला-बाला रूप से आपस में साज कर हकत्याग दिनांक 21.10.2024 को निष्पादित करवाया है। इसलिए वादी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 471, 480 व 481 रकबा क्रमशः 0.04 है0, 1.22 है0 व 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर वादी के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक अलग से विधिवत् विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जावे कि वादी के हक हिस्से व उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, बिना विधिवत् विभाजन करवाये गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय नहीं करें, किस्म नहीं बदले, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट आदि से करावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 15.05.2025 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर आंशिक रूप से मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/278 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। वाद वादी बहस श्रवण की गई। बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 471, 480 व 481 रकबा क्रमशः 0.04 है0, 1.22 है0 व 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/278 दिनांक 12.02.2026 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (...)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान गिरधारी बनाम जीवणदास वगैरह

दावा बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 41/2025

निर्णय दिनांक : 25.02.2026

वकील वादी श्री रणधीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.02.2026 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम कीरपुरा तहसील गुढागौड़जी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 471, 480 व 481 रकबा क्रमशः 0.04 है0, 1.22 है0 व 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/278 दिनांक 12.02.2026 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय ब डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	5	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)